

*Amendments with regard to period for members appointed in IWAI*

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SECTION 3, SUB SEC. (i)

Appearing on Page No. : 3806

Dated : 23-12-2000

पोत परिवहन मंत्रालय  
MINISTRY OF SHIPPING

(पोत परिवहन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2000

सा.का.नि. 514.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियम, 1986 के नियम 3 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“3. पदावधि :—(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य सामान्यतः 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसे 5 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकेगा, जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अवधारित किया जाए।”

[फा. सं. 15025/15/2000-आई इल्यू टो]

सुभाष चंद, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, प्रकाशक, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1275(घ) तारीख 10 दिसम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Shipping)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2000

G.S.R. 514.—In exercise of the powers conferred by Section 34 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Inland Waterways Authority of India Rules, 1986, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called as the Inland Waterways Authority of India (Second Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Inland Waterways Authority of India Rules, 1986, in rule 3 for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely :—

“3. Term of office.—(1) A member appointed by the Central Government under Sub-section (3) of Section 3 of the Act shall hold office ordinarily for period of 3 years, extendable to 5 years as may be determined by the Central Government having regard to the circumstances of each case”.

[F. No. 15025/15/2000-IWT]

SUBHASH CHAND, Under Secy.

NOTE.—The Principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Sub-section (iii), Extraordinary vide Notification No. GSR 1275(F) dated the 10th December, 1986.